

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री. वेत्तल उमादे गिपादे RAs  
प्रकरण संख्या 811 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956  
उपनाम

श्री. जगदीश चन्द तेली वगैरे

वनाम

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

श्री. जगदीश चन्द तेली वगैरे

उपस्थित :- श्री. संजय सिंह दाड़ा  
अभिभाषक प्रार्थी

- विपक्षी / विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 11-2-19

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व  
आधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य  
इस प्रकार से है - प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम जामाबन्दी तहसील  
शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 4043 रकबा 1.26  
5054 रकबा 0.70 1.26 5053 रकबा 0.03

कुल किता 4 रकबा 3.25 हैक्टयर का  
प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के  
विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के  
सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी  
कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।  
विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर  
बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल  
जमाबन्दी ग्राम जामाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया  
उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी  
आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
स्वीकार किया जाकर मौजा जामाबन्दी में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त  
खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 3 रकबा 3.22 हैक्टयर की  
पुरखता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई  
प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये  
जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ जामाबन्दी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी  
हेतु कमिश्नर फीस 200/- रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से  
तहसीलदार शाहपुरा/ जामाबन्दी मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ़तर हो।  
निर्णय आज दिनांक 11-2-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

आप. 5053  
रकबा 0.03  
श्री. जगदीश चन्द तेली  
को दाखिल



उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, शाहपुरा/ जामाबन्दी पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश  
पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं